No. 17(4)/2008(2)/D(Pen/Policy)
Government of India
Ministry of Defence
(Department of Ex-Servicemen Welfare)

New Delhi, 27th June, 2011

To,

The Chief of Army Staff
The Chief of Naval Staff
The Chief of Air Staff

Subject: **Implementation of the Government decision on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission- - Revision of provisions regulating Gratuity For Armed Forces Commissioned Officers retired/invalided out or died in harness on or after 1.1.2006.**

Sir,

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter No. 17(4)/2008(2)/D(Pen/Policy) dated 5th June 2009 amended vide this Ministry's letter No. 17(4)/2008(2)/D(Pen/Policy) dated 30th October 2009 regarding withdrawal of the benefit of adding years of qualifying service for the purpose of computation of Gratuity in respect of Armed Forces commissioned officers retired/invalided out or died in harness on or after 1.1.2006.

2. The matter regarding not effecting recovery on account of withdrawal of benefit of adding years of qualifying service for the purpose of computation of gratuity in respect of Armed Forces Commissioned Officers who retired/invalided out or died in harness on or after 1.1.2006 but before 1.9.2008, has been examined in the light of provisions contained in para 4 of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of P&PW OM No. 38/37/08-P&PW(A) dated 10th December, 2009. The president is pleased to decide that while implementing the provisions regarding withdrawal of benefit of adding years of qualifying service for the purpose of computation of Gratuity in terms of this Ministry's above said letter dated 30th October 2010, no recovery shall be effected from Armed Forces Commissioned Officers in the cases already settled.

3. Pension Sanction Authorities shall notify the amount already deducted as overpaid Gratuity by issuing suo-moto corrigendum PPOs in terms of these orders.

4. This issues with the concurrence of Finance Division of this Ministry vide their UO No. 2189/F/Pen dated 24/6/2011.

Hindi version will follow.

Yours faithfully,

M Narayanan

(Malathi Narayanan)
Under Secretary to the Government of India

Copy to:- AO, D/Pen/Pol.
As per standard distribution list.

सं. 17(4)/2010-रक्षा(पेंशन/नीति)
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली दिनांक 27 जून, 2011

सेवा में,

सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायुसेनाध्यक्ष

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन - 1.1.2006 के अथवा इससे पहले के सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए अथवा निकाले गए/सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कमीशन प्राप्त अफसरों हेतु उपदान को निर्धारित करने वाले प्रावधानों में संशोधन ।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के पत्र सं. 17(4)/2008(2)/रक्षा(पेंशन/नीति) दिनांक 5 जून 2009 का हवाला देने का निदेश हुआ है जो इस मंत्रालय के पत्र सं. 17(4)/2008(2)/रक्षा(पेंशन/नीति) दिनांक 30 अक्तूबर 2009 के तहत संशोधित किया गया है और जो सशस्त्र सैन्य बलों के कमीशनप्राप्त अफसरों जो 1.1.2006 को अथवा इससे पहले के सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए अथवा निकाले गए/सेवानिवृत्त हुए हैं, के संबंध में उपदान के परिकलन के उद्देश्य हेतु अर्हक सेवा में जोड़े गए वर्षों के लाभ को वापस लेने से संबंधित है ।

2. 1.1.2006 को अथवा इससे पहले परन्तु 1.9.2008 से पूर्व सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए अथवा निकाले गए/सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बलों के कमीशनप्राप्त अफसरों के संबंध में उपदान के परिकलन के उद्देश्य हेतु अर्हक सेवा में जोड़े गए वर्षों के लाभ को वापिस लेने के कारण वसूली न किए जाने से संबंधित मामले की जांच कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पी एवं पी डब्ल्यु विभाग के 10 दिसम्बर, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एवं पी डब्ल्यु (ए) के पैरा 4 में निहित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए की गई है । राष्ट्रपति निर्णय लेते है कि इस मंत्रालय के दिनांक 30 अक्तूबर 2010 के उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में उपदान के परिकलन के उद्देश्य हेतु अर्हक सेवा में जोड़े गए वर्षों के लाभ को वापिस लेने से संबंधित उपबंधों का कार्यान्वयन करते समय उन सशस्त्र बलों के कमीशनप्राप्त अफसरों से कोई वसूली नहीं की जाएगी जिनके मामले पहले ही निपटाए जा चुके है ।

3. पेंशन मंजूर करने वाले प्राधिकारी पहले ही काटी जा चुकी राशि को अधिसूचित करेंगे क्योंकि इन आदेशों के संदर्भ में उपदान हेतु ज्यादा भुगतान की गई राशि के संबंध में स्वत शुद्धिपत्र पी पी ओ जारी किए गए हैं ।

4. यह पत्र इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग के सहमति से उनके यू ओ सं. 2189/एफ/पेंशन दिनांगक 26.6.2011 के अनुसार किया गया है ।

भवदीय,

मालती

(मालती नारायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित :- AO D(Res/Pal.

मानक वितरण सूची के अनुसार ।